संख्या-22/2016/733 ई-1/तेरह-2016-127(6)/2004

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः: दिनांकः 25 मई, 2016

विषयः- आबकारी विभाग के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन के स्थान पर नये प्रतिस्थानी वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- सी 335/एक-16(गाड़ी)/वाहन क्रय] दिनांक 10 मई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आबकारी विभाग के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन संख्या- यू0पी0 44डी/455 (जीप), वाहन संख्या- यू0पी0 93ए0जी0/0013 (टाटा सूमो), वाहन संख्या- यू0पी0 70 ए0जी0/0048 (टाटा सूमो), वाहन संख्या- यू0पी0 63 सी/5651 (टाटा सूमो) तथा वाहन संख्या- यू0पी0 70 जेड/7811 (बोलैरो) अर्थात कुल 05 निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 की 03 बोलैरो एल0एक्स- 2डब्लू0 डी0 बी0एस0-3 एन0ए0सी0 माडल (प्रति बोलैरो एल0एक्स-2डब्लू0 डी0 बी0एस0-3 एन0ए0सी0 माडल का डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट समस्त चार्जेज सहित रू0 5,78,376/- की दर से रू0 17,35,128/-) तथा टाटा मोटर्स लि0 की 02 टाटा सूमो गोल्ड बी0एस0-4 डीजल माडल (प्रति टाटा सूमो गोल्ड बी0एस0-4 डीजल माडल का डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट समस्त चार्जेज सहित रू0 5,43,173/- की दर से रू0 10,88,346/-) क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 28,23,474/- (रूपये अट्ठाइस लाख तेइस हजार चार सौ चौहत्तर मात्र) को व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

3. उक्त वाहनों का क्रय समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित् करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हुए डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट कान्ट्रैक्ट की दर के अनुसार किया जायगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता तथा डी.जी.एस. एण्ड डी. दरों की वैधता सुनिश्चित् कर ली जायेगी। यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर पूर्व में नया वाहन न क्रय किया गया हो। किसी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि को व्यय करने में शासनादेश संख्या–18/2016/557 ई-1/तेरह-2016-18/2016 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दी गयी शर्तों/निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित् किया जायेगा।

5. उक्त वाहनों के क्रय पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-01-लेखाशीर्ष-"2039 राज्य उत्पाद शुल्क-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधीक्षण-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-194/दस-2016 दिनांक 25 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

संख्या-22/2016/733 (1) ई-1/तेरह-2016-127(6)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9.
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1.
6. बजट पत्रावली, आबकारी अनुभाग-1
7. आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।